EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II- SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1469—1473

Dated : 5-4-97

उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF INDUSTRY

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1997

सा.का.नि. 182.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध महानियंत्रक के वैयक्तिक सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, औद्योगिक विकास विभाग के अधीन महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न के कार्यालय में ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न, ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक (समूह ख राजपत्रित) भर्ती नियम, 1997 है।

(2) ये 29 अगस्त, 1988 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

795 Industry/97—1

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक	3* (1997) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय,	2000-60-2300-द.रो.-75-3200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। टिप्पण :—आशुलिपिक श्रेणी–1 (1640—2900 रु.) के ऐसे नियमित पद धारक की जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है; 2000–3200 रु. के वेतनमान में ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक के उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण प्रारम्भ में विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति : ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-2 (रु. 1400—2300), जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

11	12
द्वारा किया जाएगा । यदि उसे उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वह प्रारम्भिक गठन के समय पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा यदि उसे उन्नत वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त निर्धारित नहीं किया जाता है तो वह 1640—2900 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में निरन्तर बना रहेगा और प्रत्येक वर्ष उसके मामले पर पुनर्विलोकन किया जाएगा ।	(ii) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 1400—2300/2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री —अध्यक्ष 2. संयुक्त नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन या संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, पेटेंट कार्यालय या प्रशासनिक अधिकारी, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

29 अगस्त, 1988 से महानियंत्रक के वैयक्तिक सहायक के पद को ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक के स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। अतः महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न का कार्यालय, ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक (समूह "ख" राजपत्रित) भर्ती नियम, 1997 को भूतलक्षी प्रभाव देने का विनिश्चय किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त नियम को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 29 अगस्त, 1988 से देने से किसी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 8/(52)/96 पी. पी. एण्ड सी.]
पुष्पेन्द्र राय, संयुक्त सचिव

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 6th March, 1997

G.S.R. 182.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Trade Marks Registry (Group 'C') Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the post of Personal Assistant to Controller General, Except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Personal Assistant in the Office of the Controller General, Patents, Designs and Trade Marks under the Department of Industrial Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called as the Office of the Controller General, Patents, Designs and Trade Marks, Senior Personal Assistant (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 1997.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 29th day of August, 1988.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall [illegible] specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a [illegible] a person having a spouse living, and

(b) who, having a spouse living, has entered [illegible] contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Personal Assistant	*3 (1997)	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Non-selection	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
11	12
By promotion failing which by transfer on deputation. Note : The suitability of the regular holder of the post of Stenographer Grade-I (Rs. 1640—2900) with two years' regular service in the grade will be initially assessed by the Departmental Promotion Committee for appointment to the upgraded post of Senior Personal Assistant in the scale of Rs. 2000—3200. If assessed suitable, he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay he shall continue to be in the revised scale of Rs. 1640-2900 and his case would be reviewed every year.	PROMOTION : Stenographer Grade-II (Rs. 1400-2300) with 7 years' regular service in the grade. Transfer on deputation: Officers under the Central Government: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640—2900 or equivalent; or (iii) with seven years' regular service in posts in the scale of Rs 1400—2300/2600 or equivalent. (b) possessing a speed of 100 words per minute in stenography (English or Hindi).

	12
	The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) : 1. Controller General Patents, Designs and Trade Marks Registry —Chairman. 2. Joint Controller, Patent and Designs or Joint Registrar of Trade Marks—Member. 3. Administrative Officer, Patents Office or Administrative Officer, Trade Marks Registry—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The post of Personal Assistant to Controller General has been upgraded to the level of Senior Personal Assistant with effect from 29th August, 1988. It has, therefore been decided to give retrospective effect to the Office of the Controller General, Patents, Designs and Trade Marks, Senior Personal Assistant (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 1997.

It is certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to the aforesaid rules i.e., with effect from 29th August, 1988.

[F.No. 8/52/96-PP & C]

PUSHPENDRA RAI, Jt. Secy.

MGIPRRND -795 M of Industry/97 - II-Day - 23-4-97 - 100